न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024 / 431
मुकदमा नम्बर 154 / 2024 दर्ज दिनांक– 23.09.2024

1. प्रहलाद पुत्र धन्नाराम उर्फ हनुमानाराम
2. फुलचन्द पुत्र धन्नाराम उर्फ हनुमानाराम समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम बागोरियां की ढाणी तन चिराना, तहसील नवलगढ,जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री आन्नदी लाल सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 18.12.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खाता सं. नया 610 पुराना 487 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 122 रकबा 2.93 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम प्रहलाद पुत्र धन्नाराम व फुलचन्द पुत्र धन्नाराम के स्थान पर प्रहलाद पुत्र हनुमानाराम व फुलचन्द पुत्र हनुमानाराम दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ कि और से प्रकरण में रिपोर्ट कमांक/भु.अ./5615 दिनांक 02/12/2024 पेश हुई जिसके अनुसार आवेदकगण का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक का प्रा. पत्र,पटवारी हल्का कि रिपोर्ट तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजों से साबित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खाता सं. नया 610 पुराना 487 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 122 रकबा 2.93 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम प्रहलाद पुत्र धन्नाराम व फुलचन्द पुत्र धन्नाराम के स्थान पर प्रहलाद पुत्र हनुमानाराम व फुलचन्द पुत्र हनुमानाराम दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू